



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18474 वर्ष 2025

मनोज चन्द्र विद्यार्थी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दिनेश राय

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री दिनेश राय, विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता(गण) की ओर से तथा श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य की ओर से सूना गया।
2. श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य की ओर से यह कथन किया गया है कि वे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही रिट याचिका का निस्तारण किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्तागण का प्रकरण यह है कि दिनांक 01.09.2001 को उ.प्र. पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद (अब लखनऊ) द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार उन्होंने उप-निरीक्षक (सिविल पुलिस)/प्लाटून कमांडर पीएसी के पद हेतु आवेदन किया। याचिकाकर्ता(गण) का यह कथन है कि उक्त विज्ञापन के अनुसरण में वे परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा परिणाम घोषित होने के पश्चात सफल घोषित किए गए और प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत वर्ष 2007 में उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकाकर्ता(गण) के अनुसार वे उक्त पद पर कार्यरत हैं, तथापि आक्षेपित अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश दिनांक 26.08.2025 प्रत्यर्थी संख्या-6, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) इंटेलिजेंस, गोरखपुर द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा उनके वेतन का पुनर्निर्धारण उनके प्रतिकूल किया गया है।

5. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश अस्थिर है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, चूँकि उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से तथा याचिकाकर्ता(गण) को कोई सूचना अथवा अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आदेश में उल्लिखित विवरण से यह परिलक्षित होता है कि रिट याचिका संख्या 59036 वर्ष 2011 तथा उसके अनुपालन में अवमानना कार्यवाही का संदर्भ है, जिसके अनुसरण में अब वेतन के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही की गई है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जो भी स्थिति रही हो, याचिकाकर्ता(गण) को पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए थी, क्योंकि यह धोखाधड़ी अथवा अभ्यावेदन के गोपनीयकरण का प्रकरण नहीं है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान पत्रावली के पृष्ठ संख्या 78 की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें रिट-ए संख्या 7113 वर्ष 2025 (इंस्पेक्टर शेर बहादुर एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से एवं 2 अन्य) में पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 अंकित है, जिसमें समान प्रकृति की कार्यवाही की निंदा की गई तथा आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः विचारार्थ प्रेषित किया गया।

8. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि नियोक्ता के लिए त्रुटियों को सुधारना सदैव खुला रहता है। तथापि, उनके अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को कोई सूचना दी गई थी।

9. मैंने बार में प्रस्तुत तर्कों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। तथ्य विवादित नहीं हैं। यह भी विवादित नहीं है कि कुछ लाभ याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए थे, जिन्हें अब आक्षेपित आदेश के माध्यम से वापस लिया जा रहा है। रोचक रूप से, आक्षेपित आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को कोई सूचना अथवा अवसर प्रदान किया गया। **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1994) 6 एस सी सी 154** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 3 में निम्न प्रकार से अवलोकन किया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से ₹190 प्रति माह पर निर्धारित था। यह भी विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में ₹190 से ₹181 प्रति माह तक प्रतिगामी रूप से 18.12.1970 से घटा दिया गया। अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों से प्रभावित हुआ, किन्तु उसे अपने मूल वेतन में कटौती के विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसके वेतन में कटौती से पूर्व उसे सूचना तक नहीं दी गई और आदेश उसके पिछे से पारित किया गया, बिना किसी ज्ञात विधिक प्रक्रिया का पालन किए। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय हानि सहनी पड़ी। कार्रवाई में निष्पक्षता यह मांग करती है कि कोई भी ऐसा आदेश, जिसका प्रभाव कर्मचारी पर नागरिक परिणाम डालता है, बिना संबंधित को सूचना दिए और सुनवाई किए पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, अतः 25.7.1991 का आदेश (स्मरण पत्र), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर त्रुटि की। अतः न्यायाधिकरण का आदेश निरस्त किया जाना योग्य है। इस प्रकार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित 25.7.1991 के आदेश (स्मरण पत्र) को निरस्त करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता का मूल वेतन ₹190 से ₹181 प्रति माह 18.12.1970 से घटाया गया।"

10. चूंकि संपूर्ण कार्यवाही याचिकाकर्ता के पिछे से एकपक्षीय रूप से की गई, अतः आक्षेपित आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है और प्रत्यर्थी संख्या-6 द्वारा दिनांक 26.08.2025 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण को नवीन आदेश पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी के पास वापस भेजा जाता है, जो विधि के अनुसार कड़ाई से कार्रवाई करेंगे।

11. श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य की ओर से प्रस्तुत करते हैं कि 12.12.2025 तक शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और उसके पश्चात दो माह के भीतर आदेश पारित किए जाएंगे।

16 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।